

14.5.22

पत्तावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेथ हुई। (1) अकोल
 वादी उपस्थित वादी का वाद का अन्तर्गत धारा 88
 रा. हो. ए. प्रस्तुत प्रोगर्ट सहसोलदार पुलेरा मु. सांभर के
 आधार पर स्वीकार किया जाना है। निर्णय प्रथम से
 रूकित कारणों द्वारा शामिल काईल किया गया।
 निर्णय पुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्तावली फौज
 सुभार होकर काकर से लभ हो। दाखिल दफ्तर हो।

Poojaneer
 न्यायाधिकारी
 राम न्यायालय, सांभर लोक
 अदालत-अकोल

M
 डिफेंडेंट अधिकारी
 सांभर लोक

